न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2024 बउनवानी लईक अहमद बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री हफीज अहमद निवासी गर्ल्स स्कूल के पास शहर सवाईमाधोपुर **GCMS No-2024/51**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

22.5.2024 पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.3.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार के तन के नया खाता संख्या 89 पुराना 182 मे नामा0 संख्या 1340 खोला गया है दिनांक 20.3.2023 को निर्णय के द्वारा नामा0 खोला गया है उक्त नामा0 की सत्यापित प्रति व 20.3.2023 के निर्णय की प्रति ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:/भू.अ./सू.अ.अपील/2024/536 दिनांक 13.5..2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 6.3.2024 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/एलआर/2024/303 दिनांक 22.4.2024 से भिजवायी जा चुकी है। जो अपीलान्ट को व्यक्तिशः प्राप्त हो चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु अपीलान्ट की पावती रसीद भी जवाब के साथ संलग्न भिजवायी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 6.3.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना, तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 303 दिनांक 22.4.2024 से भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:08:53 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner